पंचायत आम निर्वाचन,
2021
अत्यावश्यक

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या- 3581

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार।

पटना, दिनांक - 8.9.21

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का निर्वाचन, 2021 – निर्वाचन के अवसर पर सरकारी वाहनों का दुरूपयोग रोकने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु अधिसूचना निर्गत हो चुकी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु यह आवश्यक है कि निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु उत्तरदायी बनाये गये प्रशासनिक तंत्र तथा चुनाव कर्त्तव्य पर लगे कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव के दौरान सरकारी वाहन से चुनाव कार्य अथवा चुनाव संबंधी यात्रा किये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहे।

2. आगामी पंचायत निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन की शुद्धता को बनाये रखने के उद्देश्य से निर्वाचन के अवसर पर सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकना एक कारगर कदम के रूप में माना जाता है। इन्हीं उद्देश्यों से सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु आयोग द्वारा निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

(1) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव कार्य अथवा चुनाव सम्बन्धी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के भुगतान के आधार पर भी उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। परन्तु उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग सरकारी कार्य के दौरान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी कार्यों के साथ चुनाव कार्य जोड़ा नहीं जायेगा।

(2) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यों के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और तत्पश्चात् चुनाव कार्य हेतु स्थानीय दौरा किसी निजी वाहनों के माध्यम से करते हों तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण दौरा को चुनाव कार्य हेतु किया माना जायगा। अर्थात् किसी भी परिस्थिति में सरकारी यात्रा तथा चुनाव कार्य हेतु यात्रा एक ही साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(3) राज्य के अन्दर सरकारी वाहनों या अन्य राज्यों के सरकारी वाहनों के पंचायत निकायों के निर्वाचन के सिलसिले में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

(4) कार/वाहनों को किसी भी परिस्थिति में तीन से अधिक की संख्या के कन्वाय (Convoy) को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा सभी बड़े कन्वाय, यदि वे केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ चल रहे हों तो भी उसे तोड़ दिया जायगा वशर्ते कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा सम्बन्धी निदेशों के अनुकूल हो।

(5) (क) ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जिनकी सुरक्षा अति उच्च श्रेणी की है तथा जिनकी सुरक्षा व्यवस्था राजकीय विधायिका या संसद द्वारा निर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है, उपरोक्त प्रतिबन्ध के अपवाद होंगे।

(ख) यदि किसी विशेष अधिनियम या नियम या अन्य किसी विशेष सरकारी निदेश के तहत किसी राजनैतिक व्यक्ति के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था प्रत्यक्षतः आवश्यकता से अधिक की गई हो तथा किसी विशेष उम्मीदवार के चुनाव हितों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई हो या अप्रत्यक्ष रूप से उनके चुनावी हितों को मदद हो सकती है तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कर तुरंत आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा।

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना मांग सकेगा तथा ऐसी सूचना सरकार द्वारा तुरंत उपलब्ध करायी जायगी।

(घ) यदि राज्य निर्वाचन आयोग को यह विश्वास हो जाता है कि किसी राजनैतिक व्यक्ति जिन्हे सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी वाहन, सशस्त्रबल के साथ या अन्यथा, उपलब्ध कारावा गया है और ऐसे व्यक्ति उसका नाजायज फायदा उठाकर चुनाव कार्यों हेतु सरकारी वाहनों का दुरूपयोग कर रहे हों तो राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगा सकेगा।

(6) विभाग तथा अधीनस्थ लोक उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/स्वशासी निकाय के वाहनों के दुरूपयोग के लिए सरकार के सम्बन्धित विभागों के सचिव निजी रूप से, उत्तरदायी होगे। साथ ही सम्बन्धित वाहन जिस पदाधिकारी के साथ सम्बद्ध होंगे वे भी वाहनों के दुरूपयोग के लिए उतने ही उत्तरदायी समझे जायेंगे।

(क) सरकारी वाहनों का मतलब वह वाहन होगा जिसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है अथवा करने योग्य है। चाहे वह वाहन यान्त्रिक शक्ति या अन्य माध्यमों से प्रचालित हो। इस प्रकार सरकारी वाहनों की श्रेणी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकार के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/स्थानीय निकाय/नगर निगम/नगरपालिका/विपणन बोर्ड/सहयोग समिति एवं स्वशासी जिला परिषद या अन्य निकाय जिसमें लोक राशि चाहे वह कितनी ही अल्प मात्रा में क्यों नहीं निवेशित हो, के ट्रक, लॉरी, टेम्पो, जीप, कार, ऑटो रिक्सा, बस, नाव, जहाज, हेलिकॉपटर, हवाई जहाज आदि सम्मिलित होंगे।

(ख) जिला प्रशासन को सरकारी वाहनों के उपयोग पर सख्त निगरानी रखने तथा किसी भी व्यक्ति/उम्मीदवार द्वारा अथवा उनके चुनाव अभियान हेतु ऐसे वाहनों का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नजर रखने का निदेश दिया जाता है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के उक्त दिशा निदेशों का उल्लंघन करने हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों/पदाधिकारियों/संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4. अनुरोध है कि आयोग के निर्णय से सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को अपने स्तर से अवगत कराने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाये। **उपर्युक्त निदेश पंचायत निर्वाचन**

की अधिसूचना की तिथि से लागू हैं तथा अंतिम चरण के विधिवत् रुप से परिणाम घोषणा होने तक प्रभावी रहेंगे।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/ 2021 3581 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-239/ 2021 3581 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि : सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया आयोग के दिशा-निदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति/ पदाधिकारियों/ संस्थाओं से संबंधित वाहनों को तुरंत जब्त करते हुए उत्तरदायी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें तथा उसकी सूचना आयोग को देंगे।

सचिव।